खंड 1 संख्या 138

राष्ट्र महिला

जनवरी 2010 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय में 'विरल मामलों में विरलतम' उक्ति को एक नया अर्थ देते हुए कहा कि दुल्हन को जलाए जाने और दहेज हत्या के मामलों को 'विरल में विरलतम' माना जाना चाहिए और अपराधियों को मृत्यु-दंड की कठोरतम सज़ा दी जानी चाहिए।

निम्न न्यायालय द्वारा पति तथा सास को दिए गये आजीवन कारावास के दंड को बहाल रखते हुए, दो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने एक 24-वर्षीय महिला की दहेज-हत्या के मामले में उपरोक्त दोनों कथित आरोपियों को दी गयी जमानत रद्द कर दी।

इस मामले में, डॉक्टरी जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उस महिला का गला इतनी बुरी तरह घोंटा गया था कि उसकी गर्दन टूट गयी और तत्पश्चात् उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गयी। मुकदमा अदालत ने महिला के पति को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी।

न्यायाधीशों ने कहा कि "यद्यपि हमारे देश में दुल्हन को जलाने या फंदा लगाने के मामले आम हो गये हैं, हमारी राय में 'विरल में विरलतम' उक्ति का अर्थ यह नहीं है कि ऐसा कृत्य असाधारण है; इसका अर्थ है कि यह कृत्य जघन्य और बर्बर है।"

चर्चा में दुल्हन-हत्या

"महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध क्रोध के आवेश में या सम्पत्ति के लिए किए गये सामान्य अपराध नहीं हैं। ये सामाजिक अपराध हैं। इनसे समस्त सामाजिक ढांचा विदीर्ण होता है। इसलिए ऐसे मामलों में कठोरतम दंड दिए हाने की आवश्यकता है।"

खंडपीठ ने कहा कि "समाज में महिलाओं को मिलने वाला सम्मान समाज के स्वास्थ्य का द्योतक है" और टिप्पणी की कि "भारतीय समाज एक बीमार समाज बन गया है। उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में देश भर बड़ी संख्या में आने वाले इस प्रकार के मामले यही दर्शाते हैं। ये अधिकतर पतियों अथवा ससुरालियों द्वारा मिट्टी का तेल डाल कर जलाए जाने या गला घोंट कर मार डालने के होते हैं।"

न्यायाधीशों ने आगे कहा कि "जिस समाज में महिलाओं के साथ ऐसा नृशंस और पाशविक व्यवहार होता हो, उसका सभ्यता का स्तर क्या होगा? अब इस बुराई को कठोर कार्यवाही करके समाज से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है।"

उच्चतम न्यायालय के मत से राष्ट्रीय महिला आयोग पूर्णतः सहमत है और उसका मानना है कि ऐसा घृणित कृत्य करने वाले अपराधियों को कठोरतम दंड दिलाने के लिए सिविल समाज तथा कानून प्रवर्तक तंत्रों को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आयोग की अध्यक्षा से भेंट की

राजधानी दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की पृष्ठभूमि में, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री बी.के. गुप्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास से आयोग कार्यालय में भेंट की। श्री गुप्ता ने कहा कि शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में पुलिस ने कई कदम उठाए हैं जिनमें महिला पुलिस कर्मियों की अधिक संख्या में भर्ती भी शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी पी.सी.आर. गाड़ियों को हिदायत दी गई है कि रात्रि के समय परेशानी में फंसी महिलाओं की सहायता करें। ऐसी महिलाओं को केवल 100 नम्बर डायल करना होगा और पुलिस की गाड़ी आकर उन्हें निकटतम सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगी। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों की कमान वाली पी.सी.आर. गाड़ियां स्कूलों और कॉलेजों के गिर्द भी तैनात की जायेंगी।

डॉ. गिरिजा व्यास श्री बी.के. गुप्ता के साथ

विवाह योग्य आयु पर क्षेत्रीय परामर्श

किसी लड़के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ रचे गये विवाह से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने केरल महिला आयोग एवं पुडुचेरी महिला आयोग के सहयोग में क्रमशः तिरुवंतपुरम तथा पुडुचेरी में एक एक-दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया।

सेमिनार का उद्घाटन करते हुए, आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि देश में निर्धारित से कम आयु की लड़कियों के विवाह का प्रतिशत भयोत्पादक है। उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति देश के सभी भागों में व्याप्त है।

बाल विवाहों के अधिक प्रचलन वाले कई राज्यों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आयोग ने उच्चतम न्यायालय को सौंपी अपनी याचिका में मत प्रकट किया है कि विवाह की न्यूनतम पात्रता को - जो लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष है - कम नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग के सम्मुख ये मुद्दे थे - क्या 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों को 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ हुए विवाहों को वैध कहा जा सकता है और उस लड़की की हिरासत पति को दी जा सकती है; क्या किसी नाबालिग को अपना विवेक प्रयुक्त करने की आयु का हो गया माना जा सकता है और इस प्रकार वह अपने माता-पिता की वैध अभिभावकता छोड़ कर चला जा सकता है और उनकी हिरासत से इनकार कर सकता है; क्या लड़की को सरकार की हिफाज़त में रखा जाना चाहिए अथवा

पुडुचेरी के क्षेत्रीय परामर्श में डॉ. गिरिजा व्यास दीप प्रज्वलित करते हुए। उनके बायें ले. गवर्नर श्री इकबाल सिंह

क्या उस नाबालिग के इस बयान के आधार पर कि विवाह उसने अपनी मर्जी से किया है धारा 363 के अंतर्गत दायर एफ.आई.आर. को रद्द किया जा सकता है।

डॉ. व्यास ने कहा कि विवाहों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता की आवश्यकता है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और हिन्दू अल्पसंख्यक तथा अभिभावकता अधिनियम 1956 में अस्पष्टताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनका निवारण कर उनमें एकरूपता लाई जाये। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के एककों से परामर्श के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग केन्द्र को अपनी रिपोर्ट देगा।

उन्होंने टिप्पणी की कि आयोग की सोच तो यह है कि लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ा कर 21 वर्ष और लड़कों की 24 वर्ष कर दी जाये। परन्तु किसी भी हालत में उनकी आयु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाहों में बड़े अत्याचार होते हैं जिनकी सज़ा बढ़ाई जानी चाहिए।

इस संबंध में उन्होंने पुडुचेरी के आंकड़ों की प्रशंसा की जहां लड़की के विवाह की आयु 20 वर्ष और लड़के की 26.4 वर्ष है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने प्रति होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध लड़ना चाहिए। कठोर कानून, कानूनी शिक्षा, महिला आयोगों के जागरूकता कार्यक्रम और मीडिया सभी को साथ मिल कर चलना चाहिए।

इस अवसर पर बोलते हुए संघ राज्य क्षेत्र के ले. गवर्नर इकबाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी परामर्श प्रक्रिया शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न रख कर वृहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित करे। कल्याण मंत्री श्री कंडासामी ने कहा कि माता-पिता को लड़कियों का मार्गदर्शक बनना चाहिए। पुडुचेरी महिला आयोग की अध्यक्षा ने आयोग के कार्यकलापों पर प्रकाश डाला।

अध्यक्षा ने इटली का दौरा किया

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास इटली की प्रजातांत्रिक पार्टी द्वारा आयोजित संसदीय नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने रोम गयीं। सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा विश्व का वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और राजनीतिक दलों के सम्मुख आने वाली चुनौतियाँ था।

डॉ. गिरिजा व्यास (बीच में) परामश में

डॉ. गिरिजा व्यास अन्य भागीदारों के साथ

महत्वपूर्ण निर्णय

- **हिन्दू विवाह अधिनियम का अर्थ है कि वर-वधु हिन्दू हों : उच्च न्यायालय**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी हिन्दू का किसी अन्य मतावलम्बी के साथ हिन्दू रीति से हुआ विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैध नहीं होगा क्योंकि हिन्दू विवाह अधिनियम की यह मूलभूत अपेक्षा है कि हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार हुए विवाह के समय दोनों पक्ष हिन्दू हों।

- **उच्चतम न्यायालय ने 51 वर्ष बाद दत्तकग्रहण को निरस्त किया**

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी जामा पहनाने के लिए पत्नी की सहमति आवश्यक है।

"पत्नी की चुप्पी से अथवा उसके विरोध न करने से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि उसने गोद लेने की सहमति प्रदान कर दी थी", यह टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गोद लेने के मुद्दे पर यदि किसी कानूनी प्रकरण में आपत्ति उठाई जाये तो यह साबित करना आवश्यक है कि "पत्नी ने पति की किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेने की कार्यवाही में मन से भाग लिया था।"

- **उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि साथ-साथ रिहायश की स्थिति में महिला को अपने पति के माता-पिता की सम्पत्ति में रहने का अधिकार है**

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय से घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को बहुत राहत पहुंचेगी। न्यायालय ने कहा है कि किसी शिकायतकर्ता का रिहायशी अधिकार केवल उन्हीं मामलों तक सीमित नहीं है जहां उसका पति किसी सम्पत्ति का स्वामी हो, वरन यह उन मामलों पर भी लागू होता है जहां अन्य प्रतिवादी जैसे उसकी सास, सम्पत्ति की स्वामी हो।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला उस समय तक अपनी सास की सम्पत्ति में रह सकती है जब तक कि उसका पति उसे अन्य रिहाइश प्रदान न करे।

आयोग का दल बांदा पीड़िता से मिला

राष्ट्रीय महिला आयोग का एक तीन-सदस्यीय दल बांदा जिला जेल में उस पीड़िता का बयान दर्ज करने गया जिसका बसपा के एक विधायक ने कथित बलात्कार किया था और जब उस लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया तो उस पर चोरी का आरोप लगा कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

सदस्या वानसुक सयीम, सरला आर्या और जया शुक्ला का दल उस लड़की का पक्ष जानने के लिए वहां गया। आयोग के दल ने पुलिस अधिकारियों तथा अन्य लोगों का पक्ष भी दर्ज किया।

आगामी दो दिन में यह दल अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप देगा।

शिकायत कक्ष से

● एक लड़की ने आयोग को दिए गये अपने आवेदन में शिकायत की कि उसके माता-पिता उसे तंग कर रहे हैं। उसने कहा कि उसने अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया है और निवेदन किया कि उसे किसी आश्रय घर में भेज दिया जाये। उसने यह भी कहा कि वह एक शिक्षित लड़की है और कोई काम करना चाहती है, किन्तु उसके माता-पिता इस बात के विरुद्ध हैं क्योंकि ऐसा करने से उसके लिए कोई अच्छा वर ढूंढने में इसलिए कठिनाई होगी कि वह किसी शिक्षित तथा योग्य लड़के से ही विवाह करना चाहेगी।

आयोग ने उसके माता-पिता को सुनवाई के लिए बुलाया। भाग्यवश, मामला उसी दिन सुलझ गया। कुछ दिन पश्चात् लड़की ने आयोग को ई-मेल भेज कर धन्यवाद दिया।

● एक लड़की ने आयोग में याचिका दायर की कि उसे डर है कि उसके माता-पिता और सास-ससुर उसे अपहृत करा कर तथा जबरदस्ती उसे तलाक दिला कर उसकी हत्या कर देंगे क्योंकि उसने अपनी पसंद के एक गुज्जर सम्प्रदाय के लड़के से विवाह कर लिया था जबकि वह स्वयं जाट सम्प्रदाय की है। उसका कहना था कि अब उसके माता-पिता को इस विवाह का पता चल गया है इसलिए वे उसे मार डालने अथवा जबरदस्ती उसका दूसरा विवाह कर देने का प्रयत्न करेंगे।

आयोग ने मामला अपने अपने हाथ में ले कर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा कि उस लड़की को सुरक्षा प्रदान की जाये। चूंकि मामला सम्प्रदायवादी था जिसमें जाट और गुज्जर का प्रश्न उठता था, इसलिए आयोग ने निर्णय लिया कि लड़की तथा लड़के दोनों के माता-पिता को आयोग में बुलाया जाये। वे आयोग में आये और आयोग के हस्तक्षेप तथा मंत्रणा के पश्चात् उन्होंने लिखित में दिया कि वे लड़की और उसके पति को कोई हानि नहीं पहुंचायेंगे। बाद में, लड़की के माता-पिता ने उसके पति के साथ उसका विवाह उचित सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार कर दिया। विवाह सम्पन्न किए जाने के सबूत में उन्होंने आयोग को भी एक निमंत्रण-पत्र भेजा।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

गैर सरकारी संगठन कॉलम

सुश्री रोमा देवव्रत लिखती हैं कि उनका संगठन 'स्टॉप' (STOP) ऐसे मामलों की पहचान करता है जहां गैर कानूनी रूप से व्यापार की गई महिलाओं तथा बच्चों ने अदम्य साहस दिखाया हो, और उन्हें समर्थन एवं प्रेरणा देकर उनके इस आत्मबल की हौसला अफजाई करता है। 'स्टॉप' मानव व्यापार के विरुद्ध एक ऐसा बढ़ता हुआ अभियान है जिसका नेतृत्व लड़कियों का एक दल करता है जो किसी समय इस कुरीति की शिकार हुई थीं किन्तु अपने आत्मबल से इस स्थिति से बाहर निकलीं और अब सामाजिक कार्यकर्ता बन गयी हैं।

अपने कार्य के दौरान हमें अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है - विभिन्न स्रोतों जैसे खरीदारों, व्यापार किए गये बच्चों के माता-पिता, प्रतिस्पर्धा चकलों के मालिकों और माफियाओं से लेकर व्यापार किए गये लोगों को विभिन्न शोषणागत परिस्थितियों से बाहर निकालने की कार्यवाही तक। परन्तु सबसे बड़ी चुनौती होती है अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराना, उन्हें न्यायालय में ले जाना, व्यापार किए गये लोगों को मुआवज़ा दिलाना और अंत में उनका पुनर्वास करना।

व्यापार की गयी ऐसी एक लड़की है अंगना। नेपाल की इस लड़की को दिल्ली के एक नारकीय चकले से छुडाया गया था। इस समय वह 'स्टॉप' के बरामदी दल की नेता है, एक चर्म एकक में कार्यरत मंत्रणाकार और ऑरगेनिक खेती की प्रभारी है। अनेकों की अनुकरणीय, अंगना को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने प्रथमबार उपलब्धिकारियों के पुरस्कार के लिए चुना है।

नोट : महिलाओं के सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने के लिए, राष्ट्र महिला की इस प्रति के साथ हम एक 'गैर सरकारी संगठन कॉलम' का सूत्रपात कर रहे हैं जिसमें इन संगठनों द्वारा महिला सशक्तिकरण की वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों एवं उनके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए किए गये उपायों को परिलक्षित किया जायेगा। आप अपने अनुभव भेजने के लिए आमंत्रित हैं। *- सम्पादक*

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।